




में यह भी प्रमाणित करता हूँ कि उपरोक्त सव्यवहारों को छोड़कर उक्त संपत्ति को प्रभावित करने वाले किराई अन्य सव्यवहार और अवभार का पता नहीं चला है।

निम्न व्यक्ति ने तलाशी का और प्रमाण पत्र तैयार किया-

हस्ताक्षर 

पदनाम P.e

तलाशी का संत्यापन और प्रमाण पत्र की जाँच निम्न व्यक्ति ने की

हस्ताक्षर 

पदनाम +2

कार्यालय

तारीख 03-10-2023

X 10/23  
जिला अवर निबंधक  
उपरीकरण  
निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर  
03-10-2023

टिप्पणी:- इस प्रमाण पत्र में जो सव्यवहार और अवभार दिखाये गये हैं। यदि आवेदक द्वारा यथा प्रस्तुत सम्पत्ति विवरण के अनुसार पाये गए हैं। यदि आवेदक द्वारा दिये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर इन्हीं सम्पत्तियों को निर्बाधित दस्तावेजों में दिखाया गया हो, तो वैसे दस्तावेजों से प्रमाणित सव्यवहार ट्रान्जेशन्स इस प्रमाण पत्र में शामिल न किये जायेंगे।

2. निबंधन अधिनियम की धारा 57 के अधीन जो व्यक्ति बहियों और अनुक्रमणियों (इण्डेक्स) की प्रविष्टि या देखना चाहते हों अथवा जो इनका प्रतिलिपि लेना चाहते हों अथवा जिन्हें विनिविष्ट सम्पत्तियों के अवभारों के प्रमाण पत्रों की जरूरत हो उन्हें तलाशी स्वयं करनी होगी।

विहित फीस का भुगतान करने पर बहियाँ और अनुक्रमणियों को उनके सामने रख दी जायेगी।

(क) किन्तु चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलाशी नहीं की है। इसलिए कार्यालय ने अपेक्षित तलाशी अपने भरसक सावधानी से की, फिर भी विभाग प्रमाण पत्र में दिये गये तलाशी परिणाम की किसी भूल के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार नहीं होगा।

✓ (ख) और चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलाशी स्वयं की है और चूँकि उसके द्वारा ढूँढे गये सव्यवहारों और अवभारों की सत्यापन के बाद प्रमाण पत्र में दिया गया है, इसलिए विभाग द्वारा ढूँढे गये ऐसे सव्यवहारों और अवभारों की छुट के लिए के लिए किसी भी तरह जिम्मेवार न होगी। जिसमें उक्त संपत्ति पर प्रभाव न पड़ता हो।

मैंने स्वयं जाँच किया उपरोक्त संपत्ति पर कोई गलत बात नहीं है।

438/2010